

**कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135-2767611

पत्रांक—२६५१ /१२-१ :देहरादून: दिनांक: २७ जून, 2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से भुवानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.89 हेटू वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून का पंत्रांक-८ बी/यू०सी०पी०/०६/०९/२०२१/एफ०सी०/१०८४, दिनांक—२१.११.२०२३।

महोदय,

भारत सरकार, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में 04 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी है। जिसकी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्र दिनांक—३१७५/१२-१, दिनांक—०४.०६.२०२४ द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है। जो कि निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण सूचना
1	इस कार्यालय के पत्र दि० 22.03.2021 का जबाब तय सीमा में नहीं दिया गया। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि गाईड लाईन के पैरा 1.20 के अनुसार प्रस्ताव के Nature and scope पर आवश्यक Comments प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़ द्वारा अवगतनीय है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग ग्राम रैतोली से प्रारम्भ होता है। मोटर मार्ग मायल गॉव के अन्तिम छोर में 5.00 किमी० लम्बाई में समाप्त होता है। मोटर मार्ग में ग्राम रैतोली, गुरना एवं मायल की 600 की आबादी लाभान्वित होगी। वर्तमान में ग्रामवासी लगभग 1.00 किमी० चढ़ाई के पश्चात् मोटर मार्ग तक पहुँचते हैं। उक्त मोटर मार्ग निर्माण से क्षेत्र की जनता तहसील मुख्यालय एवं विकास खण्ड मुख्यालय वेरीनाग से जुड़ जायेगी। ग्रामीणों को स्कूल, बैंक, रसायनकी सुविधा उपलब्ध हो पायेगी। रसायनीय उत्पाद हेतु वाजार उपलब्ध हो पायेगा। उक्त मार्ग निर्माण से भविष्य में वेरीनाग तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालय से जिला पिथौरागढ़ की दूरी लगभग 20 से 22 किमी० कम हो जायेगी। अतः मार्ग निर्माण जनहित में मार्ग है।
2	यद्यपि राज्य सरकार द्वारा ये अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार कुछ भाग पर मार्ग निर्माण किया गया है किन्तु आदेश में उल्लिखित भू-भाग के Status 9 (3) डे से ये दर्शित होता है कि मार्ग निर्माण से पूर्व FCA 1980 के अन्तर्गत मंजूरी ली जानी चाहिए थी, जो नहीं ली गयी अतः ये FCA 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः आपरो अनुरोध है कि तदनुसार प्रभागीय वनाधिकारी से 3A & 3B में आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करने का कष्ट करें।	बिन्दु सं० ०२ के क्रम में अवगतनीय है कि उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-३, देहरादून के पत्र सं० ८६६/X-३-२०११/८(२१)/२०१० दि० २८-०९-२०११ द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी कि राज्यपाल महोदय द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1878 की धारा-२८ के अधीन जारी अधिसूचना सं० ८६९ एफ०/६३८ दि० १७-१०-१८९३ को विख्यापित कर दिया गया है (संलग्नक -१) इसी क्रम में प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शारान, वन एवं पर्यावरण, अनुभाग-३, देहरादून के पत्रांक ८८३(१)/X-३ -२०११ दि० ०४ अक्टूबर २०११ के क्लाज-४ के उपक्लाज १ एवं २ में यह स्पष्ट किया गया है कि क्लाज-४(१)अधिसूचना सं० ८६९ एफ०/६३८ दि० १७-१०-१८९३ जिसके अन्तर्गत तत्समय गढ़वाल, अल्मोड़ा व नैनीताल जिले के नैनीताल राव-डिवीजन के गॉवों की ऐसी वेनाप वन तथा वंजर भूमि जो आरक्षित वन में सम्मिलित नहीं थी, को रक्षित वन घोषित किया गया था, को अधिसूचना सं० ८६६/X-३-२०११/८(२१)/२०१० दि० २८-०९-२०११ द्वारा विख्यापित किये जाने के उपरान्त अब

४८


	<p>प्रभावी नहीं है। वलाज -4 (2) अधिसूचना सं0 869 एफ/638 दि0 17-10-1893 के विख्यात होने पर उक्त से आच्छादित भूमि अब 'रक्षित वन' नहीं है और 'रक्षित वन' से सम्बन्धित भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधान भूमि पर लागू नहीं होगे (संलग्नक -2)</p> <p>उक्तानुसार तत्समय प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुरूप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अपने आदेश सं0 395 /7-8/2017 -18 दि0 29-11-2017 द्वारा इस विभाग को बंजर काविल आवाद श्रेणी 9(3)ड की 0.92 है 0 भूमि का हस्तान्तरण, प्रश्नगत मोटर मार्ग के प्रारम्भ में कुछ भाग के निर्माण हेतु किया गया था (संलग्नक-3)</p> <p>भूमि के हस्तान्तरण से पूर्व वन विभाग एवं राजरव विभाग के द्वारा भी संयुक्त निरीक्षण किया गया था, जिसमें उक्त भूमि से गुजरने वाले संरेखण का वृक्ष विहीन होने की रिपोर्ट प्रदत्त है (संलग्नक-4)</p> <p>उक्तानुसार वृहद जनहित में तत्समय प्रचलित नियमों के अनुरूप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा कुछ भाग पर मार्ग निर्माण किये जाने हेतु राज्य सरकार की वृक्ष विहीन भूमि, श्रेणी 9 (3) ड बंजर काविल आवाद को इस विभाग को हस्तान्तरित किया गया था। अतः जो भी कार्य तत्समय सम्पादित किया गया है। वह विधिवत् तथा नियमानुसार है</p>
3	<p>ग्राम मायल पूर्व में ही दूसरी ओर से पुल से जुड़ा हुआ है। अतः मायल तक मार्ग को ले जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। राज्य सरकार इस सन्दर्भ में औचित्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें।</p>
4	<p>Existing मार्ग को ग्राम गुरना तक बढ़ा कर मानचित्र के विन्दु सं0 9 तक ही सीमित कर regularization के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। राज्य सरकार इस सन्दर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें।</p>

अतः प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि।

संख्या-२६५।/१२-१/दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, वेरीनाग, पिथौरागढ़।


(आर०क०मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।


(आर०क०मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।

संलग्नक - 1

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुगाम-3
संख्या:- ८६६/X-३-२०११/०(२१)/२०१०
दहरादून:- दिनांक:- २८ रितावर, २०११

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 संप्रभित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा-21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके भारतीय वन अधिनियम, 1878 की धारा-28 के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-८६९ एफ/६३८ दिनांक १७.१०.१८९३ को विख्याति प्रदान करते हैं।

(रुग्गाप कुगार)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, राजरव विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रभारी सचिव, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
9. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अन्य प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
11. समरत जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
14. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
15. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
17. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लड़की, उत्तराखण्ड को उक्त अधिसूचना की 150 प्रतियाँ आधिकारिक गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
18. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड।
20. गार्ड काईल।

आज्ञा से,
Renu ka
(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव

प्रदर्शन

राज्य विभाग
अधिसूचना
संस्थान के लिए।

उद्देश्य में

प्रमुख वन सरकार
हावड़ा राज्य विभाग।

दिनांक - ०६.१०.२०११

वन एवं पर्यावरण अधिकारी

विषय : राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की देनाप वन एवं वज्र भूमि को रक्षित वन घोषित किये जाने वाली अधिसूचना संख्या ८६९ एफ /६३९ दिनांक १७.१०.१८९३ को अधिसूचना संख्या ८६६ /३-१-२०११ / ८(२१) / २०१० दिनांक २८.०९.२०११ द्वारा विख्याति दिए गए वन तथा वज्र भूमि को प्रभावी स्थिति को स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

महादेव

भारतीय वन अधिनियम १८७८ की वारा २५ द्वारा प्रदल गठित कर अधिसूचना संख्या ८६९ एफ /६३९ दिनांक १७.१०.१८९३ जैसी ही विषय अधिसूचना तत्त्वान्वय गढ़वाल संख्या ८६९ एफ /६३९ दिनांक १७.१०.१८९३ जैसी ही विषय अधिसूचना तत्त्वान्वय गढ़वाल अल्मोड़ा व नेनीताल ज़िले के नेनीताल तथा डिवाजन के गोंदों के देनाप वन तथा वज्र भूमि को आरक्षित वन से सम्बन्धित नहीं ही जो रक्षित वन घोषित किया गया है।

२- काठान्दर मे अधिसूचना संख्या ८६९ एफ /६३९ दिनांक १७.१०.१८९३ द्वारा अधिसूचना दिए गए वनों के सम्बन्ध मे श्री पं० एल० शुभेन्दु लक्ष्मानानं प्रमुख सचिव वन इनाम उत्तर प्रदेश शासन के पक्ष राज्या १५६६ / १४-२-९७-८००(11), १९३७ दिनांक १७.०३.१९३७ द्वारा विख्याति स्पष्ट की गयी थी।

३- शासन द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना संख्या ८६९ एफ /६३९ दिनांक १७.१०.१८९३ का अधिसूचना संख्या ८६६ / x-३-२०११ / ८(२१) / २०१० दिनांक २८.०९.२०११ (घार्यर्णति संलग्न) द्वारा विख्याति कर दिया गया है। इस पकार अधिसूचना संख्या ८६९ एफ /६३९ दिनांक १७.१०.१८९३ वर्षमान में प्रभावी नहीं है और शासनादेश संख्या १५६६ / १४-२-९७-८००(11), १९३७ दिनांक १७.०३.१९३७ का अन्तर्गत जिरा तत्त्वान्वय विधिक स्थिति को स्पष्ट किया गया था, उसमे परिवर्तन हो गया है।

४- अतः मुझे अधिसूचना संख्या ८६९ एफ /६३९ दिनांक १७.१०.१८९३ के विख्याति होने पर उत्पन्न होने वाली जिज्ञासाओं के निवारण व समस्त सम्बन्धित विभागों के नारंदर्शन हेतु यतनान में प्रभावी विधिक स्थिति को निमानुसार स्पष्ट किये जाने का निर्दश हुआ है -

१. अधिसूचना संख्या ८६९ एफ /६३९ दिनांक १७.१०.१८९३, जिसके अन्तर्गत तत्त्वान्वय गढ़वाल अल्मोड़ा व नेनीताल ज़िले के नेनीताल तथा डिवाजन के गोंदों की एसी देनाप वन तथा वज्र भूमि, जो आरक्षित वन में सम्बन्धित नहीं थीं, को रक्षित वन घोषित किया गया था, का जाने के उपरान्त अब प्रभावी नहीं है।

अधिकारी - ३

- १) अधिकारी का मुख्य पत्र/पत्र नं. ११० का तिथि ११.१०.१८८६ वा १८८७ का लागवारी की जगह उक्त कार्य का लिखा जाए तो एसे पत्र का अधिकारी अनुचित है।

- २) लिखित जात का लागवारी का पत्र यदि इस पर इस का अधिकारी १८८६ के प्रतिक्रिया का उल्लंघन करता है तो उक्त लागवारी का पत्र यदि जो लागवारी की दस्तावेज़ में शासी शब्द लिखा जाए तो प्रति यदि यह प्रत्यय आदर्श दिनांक १२.१२.१८८६ में प्रभारी प्रति ३। अब यह प्रति यदि यह प्रत्यय अनुचित का दर्शक नहीं है, संस्कारी शब्दों के दर्शक नहीं है तो यह प्रति यदि जो शब्दों के अनुचित का दर्शक नहीं है, संस्कारी शब्दों के दर्शक नहीं है तो यह प्रति यदि यह प्रत्यय या अन्य वा पर्याप्त आदर्श दिनांक १२.१२.१८८६ में प्रभारी प्रति ३। अब यह प्रति यदि यह प्रत्यय अनुचित का अनुचित का दर्शक है, संस्कारी शब्दों के दर्शक नहीं है तो यह प्रति यदि यह प्रत्यय अनुचित का अनुचित का दर्शक है, संस्कारी शब्दों के दर्शक नहीं है तो यह प्रति ३।

(राज्य सूची)
प्रमुख सचिव

राज्य : ४३(१) / ५-३-२०११, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित का सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- १) सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी०८००७००७०० छोम्लेक्के, लोदी रहा जै दिल्ली।
- २) प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- ३) समाज प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- ४) स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- ५) प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
- ६) प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।
- ७) प्रमुख वन संरक्षक, परियाजनाएँ, उत्तराखण्ड।
- ८) प्रवन्ध निटेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
- ९) आयुत गढवाल/कुगाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- १०) समस्त अपर प्रानुस वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- ११) समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- १२) रागरत वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- १३) समाचा जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- १४) रागरत प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- १५) समस्त गुरुग विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- १६) निदशक, युवा विभाग, उत्तराखण्ड।
- १७) निदशक, पंजोआई०सी०, उत्तराखण्ड।

आज्ञा सौ १
१२

(अख्तुन सिंह)
उपर लाखे

१२

21/07/2015-3

आवेदन

राजसत्र अनुपाय-2 उल्लंघनात्मक आवाद देवदयन के शासनादेश संख्या-1867/खVIII
 (II)/2016-16(169)/2016 मिनीक 30.07.2016 पर वित्त (मेरा-आवाद) अनुपाय-7 के
 शासनादेश संख्या-111/खVIII(7)60(39)-16/2016 दिनांक 09.07.2016 में निहित
 प्राविधिकों के आधार पर जनपद विभाग, दहोरी वैभवाय अन्वरीत देवा देवी से भूमि का
 उल्लंघन विभाग देवा देवी वैभवी पर्याप्त विभागी के देव जाति वैभवी वैभवा संख्या-11 देवी
 (3)इवं विभाग के देव नम्बर 724 एकां 0.031 है, 726 एकां 0.020 है, 762
 एकां 0.026 है, 820 एकां 0.039 है, 821 एकां 0.031 है, 822 एकां 0.020 है, 823 एकां
 0.080 है, 871 एकां 0.006 है, 880 एकां 0.005 है, 914 एकां 0.040 है, 934 एकां 0.030
 है, 962 एकां 0.005 है, 989 एकां 0.030 है, 1002 एकां 0.031 है, 1023 एकां 0.028 है,
 3082 एकां 0.003 है, 3083 एकां 0.048 है, 3999 एकां 0.020 है, 3215 एकां 0.040 है,
 3227 एकां 0.005 है, 3317 एकां 0.010 है, 3355 एकां 0.003 है, 3374 एकां 0.145 है,
 3388 एकां 0.160 है, कुल 24 देव एकां 0.905 है, तथा वैभवा संख्या-22 वैभवी-1046 देव
 विभाग आवाद के देव नम्बर 3326 एकां 0.010 है, 3405 एकां 0.005 कुल 02 देवी की 0.
 016 है। इस प्रावाद देवता तो वैभवी के कुल 26 देवी की 0.920 है। यह भूमि को वित्त
 अनुपाय-3 के शासनादेश संख्या-269/वित्त अनुपाय-3/002 दिनांक 15.02.2012 के प्राविधिकों
 तथा जिला वौजाना की प्रशासनिक वैधीकृति दिनांक 29.07.2012 के क्रम में निम्न
 लिखित शर्तों/प्रतिवर्ती के अंतीम और विभाग उल्लंघनात्मक विभाग उल्लंघनात्मक की विशुलक हस्तान्तरण
 की वैधीकृति प्रदान की जाती है।

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक पहलव की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि उल्लंघनात्मक की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवाद से राहगति प्राप्त हो चुकी है।
3. उल्लंघनात्मक भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से विन प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से फूंक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षी तक उल्लंघनात्मक भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में रखा ही निहित हो जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि उल्लंघनात्मक की जा रही है उससे विन किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की राहगति के बिना उल्लंघनात्मक नहीं की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवधीन पढ़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि पर वन राज्यान्य अधिनियम-1980 के प्राविधिक लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वासिकों कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राविधिकों से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
8. प्रश्नगत नौन जैलए भूमि आवंटन के पूर्व जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की वारा-132 के समकक्ष एवं अन्य गुरुत्वगत प्राविधिकों का अनुपालन उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस.एल.पी.)/सी संख्या-2103/2011 श्री जगपाल रिह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या-438/2011@SLP (C) N0.20203/2007 आरखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में गाँव सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक जनवरी 2011 एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2

क्रमांक-02 पर

10. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों के विन्दु संख्या-01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

अतः उक्तनुसार खीकृत भूमि का सीमांकन कर याचक विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाय।

दिनांक नवम्बर 20, 2017

(सी० शविशंकर)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
संख्या-३५५ / सात-८ / 2017-18

दिनांक नवम्बर 29, 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. उम्र जिलाधिकारी बेरीनाग।
3. अधिकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग बेरीनाग।
4. तहसीलदार बेरीनाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत भूमि का सीमांकन कर प्रस्तावक विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण उपरान्त अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, खासरे की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(सी० रविशंकर)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

संलग्नक-4

परियोजना का नाम - जिला योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड तेरीनगा में रीठ रेतोली से मुवानी तक मोमार्फ का विस्तार लम्बाई ३०० किमी।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 31-01-17 को लाक निर्माण विभाग वेरीनाग द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड वेरीनाग में रीठ रेतोली से मुवानी तक मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई ३.०० किमी में बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में बन विभाग की ओर से श्री छारिका प्रसाद वन दरोगा राजस्व विभाग की ओर से श्रीमती अजन्ता दुर्गाल राजस्व उपनिरीक्षक प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे सहायक अभियन्ता एवं श्री दीपक कुमार कनिष्ठ अभियन्ता स्थानीय प्रतिनिधि की ओर से श्री प्रमोद धारियाल के द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग बनाने हेतु सर्व श्रेष्ठ स्थल / समरेखन के द्वयन हेतु भाग लिया गया संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता की दृष्टि से समरेखन / स्थल सर्वथा उपयुक्त है। समरेखन में किसी भी प्रजाति का कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। समरेखन वृक्ष विहीन है। मोटर मार्ग के निर्माण में ०.९२ हेक्टेक्टर भूमि एवं १.७८ हेक्टेक्टर भूमि प्रभावित हो रही है। इस प्रकार कुल २.७० हेक्टेक्टर भूमि मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित हो रही है।

(१) सहायक अभियन्ता
अभियन्ता का नाम
अभियन्ता का नाम
वेरीनाग (पिथौरागढ़)

(२) प्रमोद चन्द्र धारियाल
प्रमोद चन्द्र धारियाल

(३) वनक्षेत्राधिकारी
वनक्षेत्राधिकारी
वेरीनाग

(४) तहसीलदार
तहसीलदार

(५) उपजिलाधेकारी
उपजिलाधेकारी
वेरीनाग

१७
संलग्न-४

परियोजना का नाम - जिला योजना के अन्तर्गत उम्मीदवार पिथौरागढ़ के विकास खण्ड वेश्वरनाग में शीठा ईटोली से मुवानी तक गोदावरी का विस्तार लम्बाई ३.०० किमी

समरेखन वृक्ष विहीन होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड वेश्वरनाग में शीठा ईटोली से मुवानी तक गोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई ३.०० किमी में कोई भी वृक्ष किसी भी प्रजाति का प्रभावित नहीं हो रहा है। संयुक्त निरीक्षण में प्रस्तावक विभाग, राजरथ विभाग एवं यन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा इसकी पुष्टि कर ली गई है। अतः समरेखन वृक्ष विहीन है।

प्रतिनिधि
प्रस्तावक विभाग

प्रतिनिधि
राजरथ विभाग

सहायक अधिकारी
अव्याध खण्ड सौ. फि. शि.
वेश्वरनाग (पिथौरागढ़)

विभागीय अधिकारी
वर्गाई वर्ष, लो. निर्दि.
शीठा (पिथौरागढ़)

दनक्षेत्राधिकारी
वेश्वरनाग

प्रतिनिधि
प्रस्तावक विभाग

प्रतिनिधि
राजरथ विभाग

उपजिलाधिकारी
वेश्वरनाग
राजस्थान विभाग

प्रधान (1167/1112)/10-16(सामान्य)/2018

प्रेषक,

एरांपरां लोकिया,
संयुक्त संघिया,
उत्तरारण्ड शारगा।

रोपा मे.

✓ प्रमुख अधिकारी,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तरारण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण विभाग-2

देहरादून: दिनांक : ३ / दिसम्बर, 2018

विषय: लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु नीति का प्रछापन।
गहोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने या नियेश पुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने तथा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विधानीय वार्षिक आय-व्ययक में प्राविधानिक यजट को विभिन्न योजनाओं/मदों में विभाजित किये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपान्त एतद्वारा निम्नवत नीति संत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :-

- (i) राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के मानकानुसार नीतीनीकरण हेतु पर्यामान रिथ्टि के सापेक्ष लगभग 25% धनराशि पृथक से प्रत्येक वार्षिक यजट में प्राविधानित की जाय।
- (ii) सड़क सुरक्षा हेतु वार्षिक यजट के आकार की 5% एवं पुलों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिये वार्षिक यजट के आकार की 15% धनराशि वार्षिक यजट में प्राविधानित की जाय।
- (iii) वार्षिक यजट की शेष धनराशि लगभग 65% नवनिर्माण एवं ग्रामीण मार्ग/हल्का याहन मार्ग/वार्षिक अनुशासन के लिए प्राविधानित की जाय।
- (iv) राज्य के पर्यामीय शेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यायान्वयन के दृष्टिगत गार्डों से 100 फीटर की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से घटाते ही पर्योजित माना जाय।
- (v) जिन ग्रामों/आयादियों को किरी न किरी मार्ग से सड़क संयोजकता पूर्य से ही सुलग छो, उन ग्रामों/आयादियों को अतिरिक्त/दोहरी मार्ग संयोजकता सामान्यतः प्रदान न की जाय।
- (vi) राज्य के स्थीभित वित्तीय संराधनों को देखते हुये ०५ किमी० से अधिक लम्बाई के मोटर मार्गों को स्थीकृति हेतु द्वितीय घरण में प्रस्तावित न किया जाय, यरन् अधिक लम्बाई याले ऐसे मोटर मार्गों को एवं एक करके (One by one) विभिन्न घरणों में स्थीकृति प्रदान की जाय।
- (vii) ऐसे मार्गों को, जो कि राज्य मार्ग या अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में नहीं हैं तथा जिनमें प्रतिदिन यातागारा ४०० भारी याहन से कम हैं, यो वी.एग./एरा.डी.बी.सी. द्वारा न विधा जाय।
- (viii) सम्पर्क आयादी याले गार्गों को मुख्य गार्गों में निर्माण हेतु edge to edge लैक टॉप/इन्टरलैकिंग सी०री० दाईल्या अथवा brick on Edge तथा परकी नाली निर्माण या प्राविधान अवश्य रखा जाय।

- (ix) मुख्यमंत्री आन्तरिक सम्पर्क योजना के तहत 500 मी० से अधिक लम्बाई एवं 4.25 मी० से अधिक चौड़ाई के मोटर मार्गों तथा 20 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओं के निर्माण हेतु मा० विधायकों की प्राथमिकता याले प्रस्तावों को लिया जायेगा। 02 लेन से कम चौड़ाई वाले गार्गों को सी०सी० के स्थान पर इन्टरलॉकिंग टाईल्स से किया जाय, जो M-40 से कम नहीं होगी।
- (x) MORTH के परिपत्र संख्या : NH-15017/28/2018-P&M दिनांक 23.03.2018 के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 PCUs प्रतिदिन से अधिक परन्तु 8000 PCUs से कम यातायात होने पर Intermediate lane(5.50 m) का प्राविधान, 10000 से अधिक PCUs यातायात होने पर 02 लेन अर्थात् 07मी० कैरिज ये का निर्माण एवं 10000 से अधिक PCUs तथा, 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक Traffic Growth पर 07 मी० कैरिज ये Paved Shoulder के साथ मार्ग निर्माण का प्राविधान किया जाय।
- (xi) नये मोटर मार्गों के लिए सामान्य अनुरक्षण कार्यों हेतु कार्य समाप्ति के defect liability period सहित 03 वर्ष तक के लिये अनुबन्ध में ही यह प्राविधान कर दिया जाए कि मोटर मार्गों का अनुरक्षण भी सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रथम वर्ष हेतु कुल लागत का 0.5 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.00 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.5 प्रतिशत की दरों पर किया जाय। इस अधिकारी में सामान्य अनुरक्षण मद से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।
- (xii) पैदल/झूला सेतुओं के निर्माण में Carriage way की चौड़ाई 1.80 मी० तक सीमित रखी जाय। ग्रामीण भागों में नदी पर 02 किमी० से कम दूरी पर दूसरा सेतु निर्मित न किया जाय।
- (xiii) सामान्यतः Single lane में निर्मित होने याले Steel bridges के अन्तर्गत 67 मी० स्पान तक Modular bridges का निर्माण किया जाय, जिन्हें कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर Two lane अथवा किसी भी सीमा तक Multi lane में विस्तारित किया जा सके।
- (xiv) प्रदेश में ₹० 10.00 करोड़ से अधिक लागत तथा 60 मी० से अधिक स्पान के सेतुओं को E.P.C. (Engineering Procurement Construction) Mode के माध्यम से करवाया जाय। विश्व बैंक परियोजनाओं के लिये यह प्राविधान उनकी सहमति पर ही लागू होंगे अन्यथा नहीं।
- (xv) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पूर्व में स्थीकृत ऐसे निर्माण कार्यों, जिनकी वनभूमि की स्थीकृति विलम्ब से प्राप्त होने, स्थानीय स्तर पर विवाद होने या अन्य कारणों से श्रमिक/सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्य स्थीकृत लागत में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव न हो, की पुनरीक्षित स्थीकृति को प्राथमिकता प्रदान की जाय।
2. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-378/XXVII/(2)/2018 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीप

 (एस०एस० टोलिया)
 संयुक्त सचिव

मम्रा.....पृष्ठ 3 पर

संलग्नक-5

१०

खाला : (४)६७/११८/१८(प्रायान्त) /२०१० (प्रतिवारित)

प्रतिवारित - नियमित ठो सुन्धानी एवं वाराणसी कालिकोटी हेतु प्रवित-

१. युवा खिला, परावराणी खासा।
२. वाराणसी खासा (खला खासा), अवारा खासा, लिंगारा, खासा वाराणसा।
३. रामरात अवा युवा खिला/युवा खिला/खिला वाराणसी खासा।
४. खिला, खासा युवानी, परावराणी खासा।
५. आमुला, याराला/युवानी, याराला खिला/खिला।
६. रामरात खिला वाराणी, खासा वाराणी।
७. रामरात अवाला/अवाली अवाला, लिंग खिला खिला, परावराणी।
८. लिंग खिला अवाला-१/३, वाराणसी खासा।
९. निदेशक, वाराणसी युवा खिला, वाराणसी वेलानी।
१०. खासीतय प्रति/खावे पाइल।

आज्ञा ७.

वाराणसी मुख्य अधिकारी, (क्षमता ४० दोसिया)
बो. निवास, वाराणसी रामुक्ता राधिका

दोषांश्चात् ५३/१८ ग्रामान्तरम् (४) अल्लाहु/२०१४ दिनांक ०१.०१.२०१४

द्व्यजन्तराणाम् उचित्वान्तराम् उचित्वान्तराम् आग्रेश्वर्यान्तराम्/
द्विनिमयान्तराम् निमयन्तराम् अव्यवोला/ आग्रेश्वर्यान्तराम् को. वाराणसी
स्त्री वाराणसी अवाली लिंग खिला वाराणसी वाराणसी वाराणसी
लिंग - यादेन राजन देव वाराणसी वाराणसी कालव लिंग - गोक्त्राः
वाराणसी वाराणसी वाराणसी वाराणसी वाराणसी वाराणसी वाराणसी
दार्शनी - वाराणसी वाराणसी वाराणसी वाराणसी वाराणसी वाराणसी वाराणसी
दार्शनी - वाराणसी वाराणसी वाराणसी वाराणसी वाराणसी वाराणसी वाराणसी

प्रदलप्राणी/भावायक



मानुषी ३२/१८ खासा - कोड १७

२०१४/१/१७

कर्तव्यान्तराम् वाराणसी वाराणसी वाराणसी वाराणसी वाराणसी वाराणसी
वाराणसी वाराणसी वाराणसी वाराणसी वाराणसी वाराणसी वाराणसी

द्विनिमयान्तराम्

द्विनिमयान्तराम्

द्विनिमयान्तराम्

210705-6

IRC: SP: 20

IRC:SP:20

Decks of small cross drainage structures (culverts and minor bridges) should follow the same profile as the flanking road section without any break in the grade line.

2.11.1. Gradient : The rate of rise or fall with respect to the horizontal along the length of road expressed as ratio or a percentage is termed as the "gradient". Gradient should be carefully selected keeping in view the design speed and terrain. Various levels of gradients which are generally adopted for roads are as given below:

- (a) **Ruling gradient:** It is a gradient, which in the normal course must never be exceeded in any part of road.
- (b) **Limiting gradient:** It is a gradient steeper than the ruling gradient, which may be used, in restricted lengths where keeping within the ruling gradient is not feasible.
- (c) **Exceptional gradient:** It is a gradient steeper than the limiting gradient, which may be used in short stretches only in extraordinary situation.

Gradient upto the 'ruling gradient' may be used as a normal course in design. The 'limiting gradients' may be used where the topography of a place compels this or where the adoption of gentler gradients would involve additional cost. In such case also, the length of continuous grades steeper than the ruling gradients should be as short as possible.

'Exceptional gradients' are meant to be adopted only in very difficult situations and for short length not exceeding 100 m at a stretch. In mountainous and steep terrain, successive stretches of exceptional gradients must be separated by a minimum length of 100 m having gentler gradients. Recommended gradient for different classes of terrain except at hair-pin bends are given in Table 2.19. The rise in elevation over a 2 km length shall not exceed 100 m in mountainous terrain and 120 m in steep terrain. In hilly terrain, gradient should be such that it can be negotiated with the least change of gears by heavier vehicles to save time and operation cost.

TABLE 2.19. RECOMMENDED GRADIENTS FOR DIFFERENT TERRAIN CONDITIONS

Terrain	Ruling Gradient	Limiting Gradient	Exceptional Gradient
Plain and rolling	3.3 Per cent (1 in 30)	5 Per cent (1 in 20)	6 Per cent (1 in 16.7)
Mountainous terrain and steep terrain having elevation more than 3,000 m above the mean sea level	5 Per cent (1 in 20)	6 Per cent (1 in 16.7)	7 Per cent (1 in 14.3)
Steep terrain having elevation more than 3,000 m above the mean sea level	6 Per cent (1 in 16.7)	7 Per cent (1 in 14.3)	8 Per cent (1 in 12.5)

In the plain area, as the road is used by slow moving bullock carts and motor vehicles, gradient adopted should be such that it will not have adverse effect on bullock cart traffic.

2.11.2. Grade compensation at curves : At horizontal curves, the gradients should be eased by an amount known as the 'Grade Compensation' which is intended to offset the requirement of extra tractive effort at curves. This may be calculated from the following formula:

$$\text{Grade compensation (per cent)} = (30 + R)/R$$

Subject to a maximum of $75/R$, where R is radius of the curve in meters.

Since grade compensation is not necessary for gradients flatter than 4 per cent, while compensation of the grady they need not be eased beyond 4 per cent.

$$R = \frac{\text{Chord}^2}{8 \text{ Offset}}$$

IRC : 52 - 2019

6.9 Vertical Alignment

6.9.1 General

6.9.1.1 Broken-back grade lines, i.e. two vertical curves in the same direction separated by a short tangent, shall be avoided due to poor appearance, and preferably replaced by a single curve.

6.9.1.2 Decks of small cross-drainage structures (i.e. culverts and minor bridges) shall follow the same profile as the flanking road section, with no break in the grade line.

6.9.1.3 Recommended gradients for different terrain conditions, except at hair-pin bends, are given in Table 6.12.

Table 6.12 Recommended Gradients for Different Terrain Conditions

Classification of Gradient	Mountainous Terrain and Steep Terrain more than 3000 m above MSL	Steep terrain up to 3000 m height above MSL
Ruling Gradient	5% (1 in 20.0)	6% (1 in 16.7)
Limiting Gradient	6% (1 in 16.7)	7% (1 in 14.3)
Exceptional	7% (1 in 14.3)	8% (1 in 12.5)

6.9.1.4 Gradients up to the 'ruling gradient' may be used as a matter of course in design.

6.9.1.5 The 'limiting gradients' may be used where the topography of a place compels this course or where the adoption of gentler gradients would add enormously to the cost. In such cases, the length of continuous grade steeper than the ruling gradient shall be as short as possible.

6.9.1.6 'Exceptional gradients' are meant to be adopted only in very difficult situations and for short lengths not exceeding 100 m at a stretch. Successive stretches of exceptional gradients must be separated by a minimum length of 100 m having gentler/flatter gradient.

6.9.1.7 The cumulative rise/fall in elevation over 2 km length shall not exceed 100 m in mountainous terrain and 120 m in steep terrain.

6.9.1.8 *Escape lane:* Where long, continuous descending grades exist or where topographic and location controls require such grades on new alignment for a length of 2 kms or more, the design and construction of an emergency escape ramp at an appropriate location with an interval of about 2 kms is desirable for the purpose of slowing and stopping an out-of-control vehicle away from the main traffic stream. These lanes may be useful in bringing the vehicles to a halt in case of emergency due to brake failure. The lanes are constructed with reverse gradients to provide deceleration of vehicles with arrester bed suitably located. Specific guidelines for the design of escape lanes are lacking at this time. However, guiding principle for design and layout of escape lane as per AASHTO practice is appended (Appendix-3).

21072702-6

6.9. Vertical Alignment

6.9.1. General

6.9.1.1. Broken-back grade lines, i.e. two vertical curves in the same direction separated by a short tangent, should be avoided due to poor appearance, and preferably replaced by a single curve.

6.9.1.2. Decks of small cross-drainage structures (i.e. culverts and minor bridges) should follow the same profile as the flanking road section, with no break in the grade line.

6.9.1.3. Recommended gradients for different terrain conditions, except at hairpin bends, are given in Table 6.11.

Table 6.11. Recommended Gradients for Different Terrain Conditions

Classification of Gradient	Mountainous terrain and steep terrain more than 3000 m above MSL	Steep terrain upto 3000 m height above MSL
Ruling Gradient	5% (1 in 20.0)	6% (1 in 16.7)
Limiting Gradient	6% (1 in 16.7)	7% (1 in 14.3)
Exceptional	7% (1 in 14.3)	8% (1 in 12.5)

6.9.1.4. Gradients upto the 'ruling gradient' may be used as a matter of course in design.

6.9.1.5. The 'limiting gradients' may be used where the topography of a place compels this course or where the adoption of gentler gradients would add enormously to the cost. In such cases, the length of continuous grade steeper than the ruling gradient should be as short as possible.

6.9.1.6. 'Exceptional gradients' are meant to be adopted only in very difficult situations and for short lengths not exceeding 100 m at a stretch. Successive stretches of exceptional gradients must be separated by a minimum length of 100 m having gentler/flatter gradient.

6.9.1.7. The cumulative rise/fall in elevation over 2 Km length shall not exceed 100 m in mountainous terrain and 120 m in steep terrain.

6.9.2. Grade compensation at curves

6.9.2.1. At horizontal curves, the gradients should be eased by an amount known as 'grade compensation' which is intended to offset the extra tractive effort involved at curves. This is calculated by the following formula.

$$\text{Grade compensation (per cent)} = \frac{30+R}{R} \text{ subject to}$$

maximum of $75/R$ where R is radius of the curve in metres. Since grade compensation is not necessary for gradients flatter than 4 per cent, when applying grade compensation correction, the gradients need not be eased beyond 4 per cent.